

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
:: मंत्रालय ::  
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18 अप्रैल, 2022

क्रमांक एफ 9-19/2022/1/5 :: भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार राज्य में State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board under Section 26 of the Surrogacy Act, 2021 and Section 6 of the ART Act, 2021 के तहत State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board एवं समुचित प्राधिकारी का गठन किया जाना है ।

2/ पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 की धारा 16(अ) की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य पर्यवेक्षक बोर्ड का पुर्नगठन अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7/2016/ 17-1 दिनांक 13 सितम्बर 2019 के द्वारा किया गया है, जिसकी संरचना भी समान है, पी.सी.पी.एन.डी.टी. राज्य पर्यवेक्षक मण्डल का अनुकूलन कर सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 एवं राज्य सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 24 उपधारा 01 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार राज्य पर्यवेक्षक मण्डल (State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board) का गठन करता है :-

- |  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| 1. माननीय मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा | - | अध्यक्ष (पदेन)    |
| 2. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण                     | - | उपाध्यक्ष (पदेन)  |
| 3. सचिव/आयुक्त/प्रतिनिधि-महिला एवं बाल विकास विभाग                       | - | सदस्य (पदेन)      |
| 4. सचिव/आयुक्त/प्रतिनिधि - विधि विभाग                                    | - | सदस्य (पदेन)      |
| 5. श्रीमती अम्बिका सिंहदेव (विधायक)                                      | - | सदस्य             |
| 6. श्रीमती उत्तरी जांगड़े (विधायक)                                       | - | सदस्य             |
| 7. श्रीमती छन्नी साहू (विधायक)   | - | सदस्य             |
| 8. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें   | - | सदस्य सचिव (पदेन) |
| 9. श्रीमती किरण मयी नायक, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग छत्तीसगढ़ रायपुर      | - | सदस्य             |
| 10. श्रीमती स्मिती दुबे, समाजिक कार्यकर्ता                               | - | सदस्य             |
| 11. श्रीमती संध्या तिवारी, समाजिक कार्यकर्ता                             | - | सदस्य             |
| 12. श्री बंसत यादव, कांग्रेस, समाजिक कार्यकर्ता                          | - | सदस्य             |
| 13. डॉ. पुष्पा सोनी, अम्बिकापुर, स्त्री रोग चिकित्सक                     | - | सदस्य             |
| 14. डॉ. मनीशा काले, जगदलपुर, स्त्री रोग विशेषज्ञ                         | - | सदस्य             |
| 15. डॉ. चंद्रिका साहू, रायपुर, रेडियोलॉजिस्ट                             | - | सदस्य             |
| 16. डॉ. आलोक केडिया, रायगढ़, रेडियोलॉजिस्ट                               | - | सदस्य             |
| 17. डॉ. संजीव गोयल, रायगढ़, बाल रोग विशेषज्ञ                             | - | सदस्य             |
| 18. डॉ. सांवर अग्रवाल, रायपुर, बाल रोग विशेषज्ञ                          | - | सदस्य             |
| 19. संयुक्त संचालक (पी.सी.पी.एन.डी.टी.)<br>स्वास्थ्य सेवाये, छत्तीसगढ़   | - | सदस्य             |

S  
13/04/22

4/ सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 35 उप धारा (2) एवं सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम (विनियमन) की धारा 12 उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार समुचित प्राधिकारी नियुक्त करता है :-

1. संचालक स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ (पदेन) - अध्यक्ष
2. संयुक्त संचालक (पी.सी.पी.एन.डी.टी),  
स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ (पदेन) - उपाध्यक्ष
3. अतिरिक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन,  
विधि विभाग (पदेन) - सदस्य
4. डॉ. ज्योति जायसवाल (विभागाध्यक्ष स्त्री रोग विभाग,  
पं.जे.एन.एम.मेडिकल कॉलेज, रायपुर) - सदस्य
5. डॉ. प्रीति सतपथी (समाज सेवी) - सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

*SI 13/04/22*  
(संजय अग्रवाल)

संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र. एफ 9-19/2022/1/5, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 अप्रैल, 2022  
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर  
अटल नगर
  2. सचिव, छ.ग.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,  
नवा रायपुर अटल नगर
  3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर  
अटल नगर
  4. समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण .....
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

*SI 13/04/22*  
संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग